आवश्यक / महत्वपूर्ण

संख्या– 1117 /90–सं–1–2015–70सं/1984

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
2– समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश,
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
6– समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय कार्य अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 15 अक्टूबर, 2015

विषयः मा0 सांसदों / विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों पर त्वरित कार्यवाही किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से यह अपेक्षा की गयी है कि मा0 सांसदों / विधान मण्डल सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों की तुरन्त पावती स्वीकार की जाये और उनके सम्बन्ध में वांछित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराकर प्रकरण के निस्तारण की अन्तिम स्थिति से उन्हें शीघ्र अवगत कराया जाय तथा जिन पत्रों के निस्तारण में समय लगने की सम्भावना हो, उनके सम्बन्ध में मा0 सदस्य को एक अन्तरिम उत्तर भेजते हुए यह अवगत करा दिया जाये कि इस प्रकरण में जांच / सूचना आदि एकत्र करने में समय लगने की सम्भावना है।

मा0 सदस्यों द्वारा शासन के संज्ञान में लाया गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बाद भी अधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों के पत्रों की न तो पावती स्वीकार की जाती है और न ही उनके पत्रों पर कृत कार्यवाही की सूचना उन्हें दी जाती है। यह भी अनुरोध किया गया है कि मा0 सांसदों / विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के बारे में सरकारी कार्यालयों में पृथक् से "जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर" रखा जाय, जिसमें ऐसे प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाय तथा उन पर कृत कार्यवाही की स्थिति भी उक्त रजिस्टर में दर्ज की जाय जिससे पत्रों के गायब होने की सम्भावना न रहे।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालयों में उपरोक्तानुसार एक जनप्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर रखा जाय, जिसमें मा0 सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों व जनप्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों को दर्ज किया जाये। समय से उसकी पावती भेजी जाये और निस्तारण की अन्तिम स्थिति से भी सम्बन्धित को यथाशीघ्र अवगत कराया जाये। जिन प्रकरणों में समय लगने की संभावना हो उसके बारे में एक अन्तरिम उत्तर भेजकर पृथक् से उन्हें अवगत करा दिया जाय, जिससे मा0 सदस्यों को उसी मामले में बार–बार अनावश्यक पत्राचार न करना पड़े। तत्सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त रजिस्टर में भी की जाय। इसके साथ ही मा. सांसदों/विधान मण्डल सदस्यों व जनप्रतिनिधियों के पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में संसदीय कार्य अनुभाग–1 के शासनादेश दिनांक 28.09.2012 जिसमें शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के एक अधिकारी, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी व जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के एक अधिकारी तथा पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किए जाने व ऐसे पत्रों की अनवरत समीक्षा का प्राविधान किया गया है, के अनुसार इस सम्बन्ध में प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या–1117 (1)/90–सं–1–2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मुख्य मंत्री।
2. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव।
3. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
4. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(अब्दुल शाहिद)
प्रमुख सचिव।